**उत्तर प्रदेश शासन**

**खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग**

**संख्या-120/2019/849/58-2-2019-600(31)/2019**

**लखनऊ :दिनांक:: 24 सितम्बर, 2019**

## शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-107/2019/728/58-2-2019-600(31)/2019, दिनांक-17.09.2019 में उल्लिखित धनराशि रू0-38.22 लाख (रूपया अड़तीस लाख बाईस हजार मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0-38.26 लाख (रूपया अड़तीस लाख छब्बीस हजार मात्र) पढ़ा जाए।

2. उक्त शासनादेश दिनांक-17.09.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था/शर्तें यथावत रहेगी।

**शकील अहमद सिद्दीकी**
अनु सचिव।

**संख्या-120/2019/849(1)/58-2-2018, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( शकील अहमद सिद्दीकी )**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in